संख्या-477/2023/592/22-2-2023-17(309)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2023

विषयः- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी जनपद अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15.11.2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सतीश पुत्र श्री करतार सिंह, नगला डाडा, थाना-पिसावा, जनपद अलीगढ का निवासी है। बन्दी द्वारा विधान सभा चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 23.11.1989 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेंसी बन्दूक व देशी तमंचा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148, 452 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), अलीगढ़ के आदेश दिनांक 12.06.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.10.2007 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2022 तक 14 वर्ष 06 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 29 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ने बदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा कमजोर होने तथा बंदी द्वारा घटित किये गये संगीन अपराध के दृष्टिगत वादी पक्ष द्वारा सिद्धदोष बंदी के प्रति प्रतिशोध की भावना से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश (बन्दी संख्या-227/2018) पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी जनपद अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-477/2023/592(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-423/2022 सतीश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।